न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 82 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 12.05.2016

शरीफ मोहम्मद पुत्र वजीर खां जाति मुसलमान निवासी सवाई माधोपुर रोड बस स्टेण्ड उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
2—हसीना बानो पुत्री मोहम्मद्दीन पत्नि शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 01 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 01.09.2015 वाके ग्राम उनियारा तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति —(1) श्री रईस अहमद, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा,अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2

निर्णय **दिनांक 12.04.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 01.09.2015 को खातेदार हाजरा पत्नि घासी खां कोम मुसलमान सा. देह खातेदार का विरासत का नामान्तकरण संख्या 2116 दिनांक 01.09.2015 वाके ग्राम उनियारा हसीना बानो पुत्री मोहम्मदीन कोम मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2 की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0संख्या 2 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार उनियारा के यहा नामान्तकरण भरे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 ने नामान्तकरण संख्या 2116 दिनाक 01.09.2015 रेस्पो0 संख्या 2 के हक मे तस्दीक कया है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व वास्तविक एंव मौखिक तथ्यो कि सही रूप से जॉच व विवेचना नही कर आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक किया है। आराजी खसरा नम्बर 291,292,1764,1765,1766,1771 कुल किता 6 कुल रकबा 4.54 है.वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा में रेस्पो0 ने नामान्तकरण खुलवाते समय अपना नाम हसीना बानो पुत्री मोहम्मदीन खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 1 टोंक बताकर अपने हक मे नामान्तकरण खुलवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिनाक 06.05.2015 को तहसीलदार उनियारा के समक्ष पेश किया था, रेस्पो0 संख्या 2 ने उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार उनियारा के समक्ष तथ्यो को छिपाते हुऐ पेश किया था, इसके बावजूद भी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

बिना तथ्यो की जांच किये तहसीलदार उनियारा ने नामान्तकरण तस्दीक किया है। वास्तव मे रेस्पो0 संख्या 2 अपीलांट शरीफ मोहम्मद कि पत्नि थी तथा उसके शादी शुदा होने के बावजूद भी उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुए उसने अपने आप को केवल मात्र मोहम्मदीन कि पुत्री बताया जबकि उक्त दिनाक रेस्पो0 संख्या 2 अपीलांट कि पत्नि थी तथा अपने साथ उक्त नामान्तकरण मे बतौर पत्नि अपीलान्ट का नाम दर्ज नही कराया। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 2 के साथ बतौर पति नाम नही जोड कर कानूनी भूल कि है तथा गलत रूप से केवल पिता का नाम दर्ज किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आक्षेपित नामान्तकरण को स्वीकार किया है। अतः नामान्तकरण संख्या 2116 दिनाक 01.09.2015 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर,उक्त वर्णित नामान्तकरण आदेश मे हसीना बानो पुत्री मोहम्मदीन पत्नि शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 1, उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक किये जाने का आदेश प्रदान करे ।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि तहसीलदार उनियारा द्वारा खातेदार हाजरा पत्नि घासी खां कोम मुसलमान सा. देह खातेदार का फोती नामान्तकरण उनके वारीसान हसीना बानो पुत्री मोहम्मदीन कोम मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण संख्या 2116 दिनाक 01.09.2015 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा तस्दीक किया गया है। यह भूमि पैतृक होने के कारण वारीसान हसीना बानो के साथ पिता का नाम लिखा जाना ही न्यायोचित है। अपीलांट उक्त भूमि मे अपनी पत्नि के नाम के साथ स्वंय का नाम अंकित करवाना चाहता है जो नियमानुसार सही नही है। अतः अपील अपीलांट्स अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार उनियारा द्वारा खातेदार हाजरा पत्नि घासी खां कोम मुसलमान सा. देह खातेदार का फोती नामान्तकरण उनके वारीसान हसीना बानो पुत्री मोहम्मदीन कोम मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम नामान्तकरण संख्या 2116 दिनाक 01.09.2015 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि नामान्तकरण मे अपीलांट अपनी पत्नि के नाम के साथ स्वंय का भी नाम अंकित करवाना चाहता है,परन्तु तहसीलदार उनियारा ने रेस्पो. संख्या 2 (वारीसान) के द्वारा दिनाक 06.05.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फोती नामान्तकरण खोलने बाबत की जांच पटवारी हल्का से नियमानुसार करवाकर बाद जांच नामान्तकरण दर्ज करने पर वारीसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया है। चूकिं उक्त भूमि पैतृक होने के कारण नामान्तकरण मे वारीसान के नाम के साथ पिता का नाम ही पर्याप्त होता है पिता के नाम के साथ पति का नाम जोडना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2116 दिनाक 01.09.2015 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर